राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(विभाग–1)

क्रमांकः प.10(1)प्र.सु./सम/अनु–1/2014 जयपुर, दिनांकः– 19.08.2014

परिपत्र

विषयः– माननीय मंत्रीगण/सांसदों/विधायकों एव अन्य जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही करने हेतु।

माननीय संसद सदस्यों, विधायकों, जिला प्रमुख, प्रधान एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों की पावती एवं उन पर की गई कार्रवाई से अवगत कराने के संबंध में इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 26.02.2014 के द्वारा निर्देश प्रसारित किये गये थे।

प्रायः यह देखने में आया है कि उक्त निर्देशों की पालना पूर्ण रूप से नहीं की जा रही है। अतः उक्त निर्देशों की निरन्तरता में पुनः निम्न निर्देश प्रदान किये जाते हैः–

1. माननीय संसद सदस्यों/माननीय विधायकों एवं जन प्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों की पावती एवं उन्हें की गई कार्यवाही से यथा समय अवगत करवाया जावें। प्रत्येक विभाग में अलग से पत्रावली खोलकर उन पर कार्रवाई की जावे। इसके लिए विभागीय नोडल अधिकारी नियुक्त कर उन्हें दायित्व सौंपा जावें।
2. माननीय जन प्रतिनिधियों के पत्रों में उठाये गये प्रकरणों का निपटारा कर, अन्तिम जवाब पत्र प्राप्ति के 30 दिवस में दे दिया जावें, अगर किसी विशेष परिस्थितियों में यह संभव नहीं हो तो उन्हें अन्तरिम उत्तर भेजते हुये उसके कारणों से अवगत करवाया जावें। अन्तिम उत्तर भिजवाये जाने के पश्चात ही संबंधित पत्रावली बन्द की जावें।
3. माननीय जन प्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों के निस्तारण की मासिक सूचना निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारीगण द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक आवश्यक रूप से इस विभाग को प्रेषित की जावें।
4. माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार के माननीय मंत्रीगण, राज्य मंत्रीगण व अन्य राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों एवं माननीय मंत्रीगण/संसद सदस्य/विधायकों के ऐसे पत्र जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय/माननीय प्रभारी मंत्रीगण को संबोधित हों, के अन्तरिम एवं अन्तिम उत्तर सामान्यतः माननीय मुख्यमंत्री महोदय/माननीय संबंधित मंत्री के द्वारा प्रेषित किये जाते है तो पत्र में उठाये गये मुद्दों पर यदि परीक्षण की

आवश्यकता हो तो संबंधित विभाग द्वारा अधिकतम 15 दिवस में परीक्षण कर, संबंधित अतिरिक्त मुख्य सचिव/शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव द्वारा पत्र का प्रारूप उत्तर, माननीय मुख्यमंत्री महोदया या माननीय संबंधित मंत्री महोदय को प्रस्तुत किया जावें। ऐसे प्रकरणों का संबंधित अतिरिक्त मुख्य सचिव/शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिवगण के यहां अलग से रिकार्ड रखा जावें।

सभी विभागों/निगमों/मण्डलों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इन निर्देशों की सभी स्तरों पर गम्भीरतापूर्वक पालना की जावें। यह ध्यान में रखा जावे कि उपरोक्त दिशा–निर्देशों की अवहेलना नही की जावें।

(राकेश वर्मा)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव/विशिष्ठ सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, माननीय समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
5. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ-शासन सचिवगण।
6. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/प्रशासक, समस्त निगम/बोर्ड/मण्डल एवं स्वायत्तशासी संस्थाएँ, राजस्थान।
9. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को 2 अतिरिक्त प्रतियों में प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
10. रक्षित पत्रावली।

(विकास एस. भाले)
शासन विशिष्ठ सचिव